फर्द अहकाम

महेश कुमार बनाम घनश्याम वगै०

नाम न्यायालय SDO II सांगानेर

केस संख्या 188/2024

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	6/6/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्षों की प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 12/07/2024 को ता-फैसला दावा स्थाई किये जाने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड, दिनांक 12/7/2024 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा, प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र का आद्योपान्त अवलोकन करने व वकील उभयपक्षों की बहस का मनन करने पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में पाये जाते हैं अतः इसी न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 12/7/24 को ता-फैसला दावा स्थाई (Absolute) किया जाता है। पत्रावली नम्बर लिकाफ होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। सुनाया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	